

अपील पत्र दिनांक: 22.12.2023

संदर्भ सं०: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./ उ. क्षे.1/2273/389

दिनांक: 03.01.2024

लोक प्राधिकारी का नाम

: पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय, एस. सी. ओ, Bay No.
5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद -121002

आदेश

आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2023 जो कि श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बलबन्त सिंह निवासी बासखेडा कला, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-244713 (मो.न.8449824215) के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/महाप्रबंधक (सी. टी. यू.) सौदामनी, सेक्टर 29 गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा गया। पावरग्रिड आर. टी. आई. पोर्टल के माध्यम से सी. पी.आई.ओ., उ.क्षे.1 के कार्यालय में प्राप्त हुआ। आर. टी. आई. पत्र के माध्यम से प्रार्थी ने उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन पावर कॉर्पोरेशन (KTR) के अंतर्गत श्री-नगर-कोटेद्वार से काशीपुर रम्पुरा, जिला उधम सिंह नगर के लिए प्रस्तावित 400 के. वी. की पावर लाईन के संदर्भ में जानकारी चाही है। इस अनुसार उ. क्षे.1 के सम्बंधित कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.1 ने पत्र संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2273/334 दिनांक 15.12.2023 के माध्यम से जानकारी दी की मांगी गई जानकारी पावरग्रिड से सम्बंधित नहीं है।

अब, श्री उदयराज सिंह ने सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.1 द्वारा प्रदान की गयी जानकारी से असंतुष्ट होने पर अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 भेजा जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुआ है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि सूचना न देना व तोड़-मरोड़ कर पेश करना, आवेदक को गुमराह करना, सूचनाओं को उपलब्ध न कराना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

अब, अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र एवं अपील पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का अध्ययन के पश्चात यह बताना है कि सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम के द्वारा दी गयी जानकारी सही है क्योंकि आर. टी. आई प्रार्थना पत्र के अनुसार मांगी गई जानकारी पावरग्रिड से सम्बंधित नहीं है। अतः अपील पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार यह बताना चाहते हैं कि मांगी गई जानकारी निर्माणधीन एजेंसी मेसर्स मेघा इंजीनियर्स (मैसर्स के0आर0टी0एल0) से सम्बंधित है। चूंकी इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी CTUIL New Delhi है इसलिए सी. पी. आई.ओ. उ. क्षे.1 को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के आर. टी. आई. पत्र दिनांक 23.11.2023 को सी. पी. आई. ओ. CTUIL गुरुग्राम को स्थानान्तरण कर दिया जाये और साथ-साथ प्रार्थी श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बलबन्त सिंह को भी सूचित किया जाये। अतः आपका अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 को बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]

कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे. 1 एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
ई-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री उदयराज सिंह पुत्र श्री बलबन्त सिंह निवासी बासखेडा कला, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-244713 (मो.न.8449824215): अपील पत्र दिनांक 22.12.2023 के संदर्भ में।
2. श्री जी. पी. पयासी, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना/अभियांत्रिकी) एवं अधिकृत सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे.1: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।